वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.07.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, जागरूक एक्सप्रेस, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 25.07.2025

100 वर्गमीटर में घर और 30 वर्गमीटर में दुकान के लिए नहीं पास कराना होगा नक्शा

नक्शा पास कराने में खर्च होने वाले 30 से 35 हजार रुपये बचेंगे, नियम 4 जुलाई के बाद भवन बनाने वालों पर लागू

कार्यशाला का उद्घाटन करते मेयर अशोक तिवारी और अन्य। संवाद

कार्यशाला में मौजूद राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु समेत अन्य। संवाद

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। अब 100 वर्गमीटर में घर और 30 वर्ग मीटर में दुकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। बस एक रुपये टोकन मनी देकर पंजीकरण कराना होगा। यह बातें राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 की कार्यशाला में कहीं। वीडीए की ओर से वृहस्पतिवार को चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में कार्यशाला हुई।

उन्होंनें बताया कि इस नियम से आम जनता को काफी फायदा होगा। घर में व्यावसायिक निर्माण कराने पर चार्ज कम लगेगा। ग्रुप हाउसिंग बनांने वालों को फायदा होगा। कम जमीन पर ज्यादा निर्माण कर सकेंगे। इससे आवास के दाम में कमी आएगी। चार जुलाई से यह नियम लागू किया गया है। इस तिथि से भवन बनवाने वालों पर यह लागू होगा। पहले नक्शा पास कराने में 30 से 35 हजार रुपये खर्च होते थे। जिससे लोगों को मुक्ति मिली है, लेकिन बिल्डिंग बाइलाज के अनुसार ही निर्माण कराना होगा। इसका उल्लंघन करने पर वीडीए कार्रवाई कर सकता है।

कार्यशाला में राज्यमंत्री ने कहा कि शहर के व्यवस्थित विकास के लिए वीडीए, रजिस्ट्री, थाना-पुलिस विभाग का भय खत्म करना है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा की सहभागिता प्राप्त करते हुए जागरूकता अभियान और कार्यशाला का आयोजन करें। जिससे उपविधि और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने की। वीडीए उपाध्यक्ष और नगर नियोजक प्रभात कुमार ने उपविधि और रेगुलेशन की बारीकियां बताईं। सभी अतिथियों ने उपविधि और रेगुलेशन के पुस्तक का विमोचन किया।

ये रहे विशिष्ट अतिथि: कार्यशाला के विशिष्ट अतिथियों में राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, मेयर अशोक कुमार तिवारी, कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, विधायक सेवापुरी नीलरतन पटेल नीलू, मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, वीडीए बोर्ड के सदस्य अंबरीश सिंह भोला, साधना वेदांती आदि मौजूद रहे।

एक रुपये के टोकन मनी से होगा पंजीकरण

वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि 100 वर्ग मीटर आवासीय निर्माण और 30 वर्ग मीटर में व्यावसायिक निर्माण के लिए एक रुपये की टोकन धनराशि जमा कर पंजीकरण कराना है। संबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समय-सीमा निर्धारित है। ग्राउंड कवरेज प्रतिबंधों की समाप्ति, एफएआर में वृद्धि, होटल, चिकित्सा सुविधा, पेइंग गेस्ट/होम स्टे के लिए एनओसी की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक इकाइयों के मानकों में छूट,जोनिंग रेगुलेशन्स को सरल बनाया गया है।

बिल्डर और व्यापारियों ने जताया आभार

कार्यशाला में शहर के बिल्डर और व्यापारियों ने आभार जताया। पूर्वांचल रियल इस्टेट एसोसिएशन के संरक्षक अनुज डिडवानिया ने कहा कि वाराणसी से सबसे अधिक सुझाव भेजे गए थे। अधिकतर सुझाव बाइलाज में शामिल किए गए हैं। क्रेडाई पूर्वांचल के चेयरमैन आकाशदीप ने कहा कि इस सुविधा से अब प्लानिंग और निर्माण दोनों में गति और पारदर्शिता आएगी। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महामंत्री राजकुमार शर्मा सहित उनकी टीम ने सुझाव को शामिल करने पर आभार जताया।

दैनिक जागरण–दि0 25.07.2025

एक रुपये में वीडीए में कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण, भू-स्वामी की ओर से घोषित तथ्य को कर लिया जाएगा मान्य

सौ वर्ग मी. प्लॉट में निर्माण को नक्शा जरूरी नहीं

कार्यशाला

15 मीटर तक ऊंचाई में भवन निर्माण के लिए मिली अनुमति

09 मीटर की सड़क होना अनिवार्य, एक मी. छोड़ना होगा फ्रंट सेटबैक

- उप विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 की दी जानकारी
- वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा, अवैध कॉलोनियों और ग्रीन बेल्ट में नहीं मान्य होगा नियम

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सौ वर्गमीटर प्लॉट में आवासीय भवन निर्माण के लिए वीडीए में अब केवल एक रुपये में ऑनलाइन पंजीकरण होगा। इसके लिए किसी प्रकार के नक्शे की जरूरत नहीं होगी और आपका स्वघोषित तथ्य स्वीकार किया जाएगा। यह नियम व्यावसायिक भवनों पर 30 वर्गमीटर के क्षेत्रफल पर लागू होगा।

उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के संबंध में गुरुवार को सांस्कृतिक संकुल में हुई कार्यशाला में यह जानकारी वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए नौ मीटर सड़क होनी चाहिए और केवल एक मीटर फ्रंट सेटबैक छोड़ना होगा। अवैध कॉलोनियों, ग्रीन बेल्ट को छोड़कर यह सुविधा सभी इलाकों में होगी। 15 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति होगी जो पहले 10.5 मीटर थी।

इससे पहले कार्यशाला की शुरुआत महापौर अशोक कुमार तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने किया। महापौर ने कहा कि काशी में छोटा सा घर बनाना लोगों की चाह होती है। इस उम्मीद को यह भवन उपविधि पूरी करने में सहायक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच का यह परिणाम है जिसका लाभ पूरा प्रदेश उठाएगा। एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की सोच इसमें परिलक्षित होती है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि मध्यम वर्ग परिवारों के लिए यह राहत की बात है।

विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि बनारस में यह नियम आमलोगों के लिए रोजगार के साधन बढ़ाएगा। विधायक टी राम ने कहा कि काशी में हेरिटेज की रक्षा जरूरी है। नया नियम आमलोगों के लिए हितकर है। विधायक रमेश जायसवाल ने कहा कि यह नीति छोटे भवन निर्माण के लिए उपयोगी होगी। वीडीए बोर्ड के सदस्य अंबरीश सिंह भोला ने कहा कि आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण में छूट मिलने से भवन निर्माण में सहूलियत मिलेगी। साधना वेदांती ने कहा कि लोगों के लिए घर बनाना और खरीदना सस्ता होगा। इस दौरान वीडीए सचिव डॉ. वेदप्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, आरसी जैन, अनुज डिडवानिया मौजूद रहे। उधर काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के उपाध्यक्ष रविशंकर सिंह, उपाध्यक्ष पवन कुमार मोदी, महामंत्री राजकुमार शर्मा के अलावा गौरीशंकर नेवर, अनिल केशरी ने संगठन के सुझाव के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार का आभार जताया है।

कार्यशाला का उद्घाटन करते मेयर अशोक तिवारी और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य।

गंगा किनारे के मकानों को छूट देने का समय

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि छोटे घर बिना नक्शे के बन सकेंगे। प्रदेश में भी गगनचुंबी इमारतें होंगी। उन्होंने कहा कि अब गंगा किनारे 200 मीटर दायरे में मकानों को भी छूट देने का समय है। काशी की पहचान पुराने भवनों की हमें चिंता करनी होगी। देश विदेश से लोग काशी की प्राचीनता देखने आते हैं न कि बड़ी इमारतें।

"कार्यशाला में नीति की बारीकियां समझने का अवसर मिला। आमजन के लिए भी विकास से जुड़ी प्रक्रियाएं अब अधिक पारदर्शी और सरल बन सकेंगी। इस कार्यशाला ने सभी डेवलपरों को वास्तविक स्थिति से जोड़ते हुए एक स्पष्ट दिशा दी है। -आकाशदीप, चेयरमैन क्रेडाई पूर्वांचल

सांस्कृतिक संकुल में भवन उपविधि पुस्तक का विमोचन करते राज्यमंत्री रवींद जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु व अन्य।

भवन उपविधि से इंस्पेक्टर राज का होगा खात्मा

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। कार्यक्रम में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा कि नई नीति से विभागीय इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। जिस तरह से आमलोगों में वीडीए का भय बना है उससे लोगों को राहत मिलेगी। वीडीए अफसरों को भी अधीनस्थों की कार्यशैली पर नजर रखनी चाहिए और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि बिल्डरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेरा में शिकायतें न हों। वीडीए प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि भवन स्वामी, बिल्डर भवनों पर यह उल्लेख करें कि कितनी मंजिलों का नक्शा पास है। उन्होंने कहा कि वीडीए प्रशासन शहर में एक हजार होर्डिंग लगवाए जिसमें सरल भाषा में उपविधि की विशेषताओं, लाभ का उल्लेख किया जाए। वीडीए प्रशासन कंपाउंडिंग की नोटिस के मामले में भवन स्वामियों की व्यवहारिक दिक्कतों को देखे और किश्तों में भुगतान की सुविधा दे।

आज–दि0 25.07.2025

मध्यम श्रेणी को भवन निर्माण में मानचित्र से मिली राहत

प्रदेश सरकार ने विकास उपविधि और जोनिंग रेगुलेशन तत्काल प्रभाव से किया लागू,सांस्कृतिक संकुल में हुई कार्यशाला में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अतिथियों के समक्ष की घोषणा

अब गरीब और कम भूमि पर निर्माण करने वालों के लिए राहत और सहूलियत होने से एक नयी ऊर्जा लोगों में प्रज्वलित हो गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरण के नयी उपविधि लागू करने पर हरी झण्डी दे दी है। इस संबंध में एक कार्यशाला का उद्घाटन सांस्कृतिक गिरजादेवी हाल में किया गया। इसमें विस्तृत जानकारी देते हुए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि १०० वर्ग मीटर आवास और ३० मीटर व्यवसायीक मानचीत्र की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। कोई भी भूस्वामी एक रुपये की टोकन जमाकर विप्रा में पंजीकरण करा सकता है। इसप्रकार से इन भवनों को निर्माण के लिए आनापत्री पत्र, समय सीमा, ग्राउण्ड कवरेज, बैक कवरेज का प्रतिबंध हटा दिया गया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि अब चिकित्सक, वकील के लिए भूमि स्वामी ३० वर्ग मीटर में चैम्बर और दूकान का निर्माण करा सकता है। इसके अलावा १००० वर्ग मीटर में पेयींग गेस्ट और होमस्टेज बनाने में एनओसी की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही औद्योगिक इकाईयों के मानकों में भी छूट मिलेगी। जोनिंग रेगुलेशन को भी सरल बनाया गया है। इस संबंध में नगर नियोजक प्रभात कुमार ने उपविधि २०२५ एवं रेगुलेशन-२०२५ की बारिकीयों पर विस्तार से चर्चा की। इसप्रकार से २०२५ के उपविधि में मध्यमश्रेणी के

लोगों को भवन निर्माण में राहत मिलेगी। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की नितियों और उपनिधि में परिवर्तन के साथ विकास कार्य तेजी से होंगे। कार्यक्रम की शुरूआत दीपप्रज्वावित करते हुए सरस्वती वंदना की गयी। कार्यशाला में महापौर और राज्यमंत्री के अलावा राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु', विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, विधायक अजगरा त्रिभुवन राम, विधायक निलरतन नीलू, सदस्य विधानसभा परिषद हंसराज विश्वकर्मा, विधायक मुगलसराय समीर जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के अलावा सदस्य विप्रा अमरिश सिंह, प्रदीप अग्रहरि और साधना वेंदाती मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के बाद उपाध्यक्ष ने आये हुए अतिथियों को पारम्परिक शाल एवं पौधे भेट स्वरूप दिया। विप्रा सचिव ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

मंत्री ने वीडीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और जनता को जागरूक करने का दिया सुझाव

प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने वाराणसी के लिए तैयार की गयी वाराणसी विकास प्राधिकरण उपविधि २०२५ पर गुरुवार को संस्कृत संकुल में आयोजित कार्यशाला में कहा कि प्राचीन विरासत को संरक्षित रखते हुए ने पूरे प्रदेश में भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसी दिशा में यह उपविधि तैयार की गयी है ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो और आम नागरिक को राहत मिले। श्री जायसवाल ने सुझाव दिया कि शहर भर में होल्डिंग और कैंप

प्राचीनता और आधुनिकता का संगम बनायेगा काशी का विकास मॉडल

स्मार्ट सुविधाओं से युक्त शहर तैयार किया जायेगा। इस उपविधि में छह अन्य प्रदेशों के बाईलाज का समावेश किया गया है, जिससे एक संतुलित और व्यावहारिक नियमावली तैयार की जा सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के कुछ सुपरवाइजर 'इंस्पेक्टर राज' जैसा भय पैदा कर आम जनता से अवैध वसूली करते हैं, जो अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाकर लोगों को उपविधियों की जानकारी दी जाए। वाराणसी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में हेल्पडेक्स काउंटर बनाया जाए ताकि नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से सहायता मिल सके। साथ ही बीटेक एवं सिविल इंजीनियरिंग के युवाओं को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए ताकि वे शहर के विकास में सहभागी बनें। उन्होंने यह भी कहा कि साहित्य, कला और बनारस की सांस्कृतिक विरासत को शहर के चौराहों और पाथवे पर दर्शाया जाये।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 25.07.2025

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 सहित अन्य के सम्बन्ध में कार्यशाला संपन्न

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अध्यक्षता में उ0प्र0 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन–2025 के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार/विधायक वाराणसी उत्तरी) रविन्द्र जायसवाल , राज्यमंत्री/स्वतंत्र प्रभार/ एम0एल0सी0 दयाशंकर मिश्रा दयालु , विधायक कैंट वाराणसी सौरभ श्रीवास्तव, विधायक अजगरा त्रिभुवन राम , विधायक सेवापुरी नील रतन नीलू, सदस्य विधान परिषद्/जिला अध्यक्ष भाजपा हंशराज विश्वकर्मा, विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल, महापौर नगर निगम अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य , सदस्य वा0वि0प्रा0 अम्बरीश सिंह भोला, सदस्य वा0वि0प्रा0 प्रदीप अग्रहरी, सदस्य वा0वि0प्रा0 साधना वेदांती उपस्थित रहीं ।सभी अतिथिगण का स्वागत तिलक व पुष्प गुच्छ देकर किया गया द्य कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना से किया गया द्य सर्वप्रथम उपाध्यक्ष

महोदय द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन–2025 के मुख्य बिन्दुओं *यथा– 100 वर्ग मीटर आवासीय निर्माण हेतु एवं 30 वर्ग मीटर व्यावसायिक निर्माण हेतु 01 रु0 की टोकन धनराशि जमा कर पंजीकरण कराना, सम्बंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु समय–सीमा निर्धारित, ग्राउंड कवरेज प्रतिबंधों की समाप्ति, एफ.ए.आर. में वृद्धि, होटल, चिकित्सा सुविधा, पेइंग गेस्ट/होम स्टे हेतु हह्ष्ट की आवश्यकता नही है, औद्योगिक इकाइयों के मानकों में छूट,जोनिंग रेगुलेशन्स को सरल बनाया गया* , से अवगत कराया गया द्य तत्पश्चात नगर नियोजक प्रभात कुमार द्वारा उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन–2025 के बारीकियों पर विस्तार से चर्चा किया गया द्य इसी के साथ उपस्थित अतिथिगण द्वारा कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने – अपने विचार रखे गए तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार/विधायक वाराणसी उत्तरी) रविन्द्र जायसवाल द्वारा सुझाव दिया गया कि उ0प्र0 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन–2025 का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु नगर अंतर्गत तकनिकी शिक्षा प्राप्त युवा की सहभागिता प्राप्त करते हुए जागरूकता अभियान/कार्यशाला का आयोजन किया जाये, जिससे उपविधि–2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन–2025 को अधिक प्रभावी बनाया जा सके । कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित अतिथिगण को पारंपरिक शाल एवं पौध भेंट स्वरुप दिया गया तथा सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया गया ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

जागरूक एक्सप्रेश–दि0 25.07.2025

वीडीए ने कार्यशाला आयोजित कर दी नियमों की जानकारी

जिला संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के अध्यक्षता में उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार/विधायक वाराणसी उत्तरी) रविन्द्र जायसवाल, राज्यमंत्री/स्वतंत्र प्रभार/ एम०एल०सी० दयाशंकर मिश्रा दयालु, विधायक कैंट वाराणसी सौरभ श्रीवास्तव, विधायक अजगरा त्रिभुवन राम, विधायक सेवापुरी नील रतन नीलू, सदस्य विधान परिषद्/जिला अध्यक्ष भाजपा हंशराज विश्वकर्मा, विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल, महापौर नगर निगम अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, सदस्य वा०वि०प्रा० अम्बरीश सिंह भोला, सदस्य वा०वि०प्रा० प्रदीप अग्रहरी, सदस्य वा०वि०प्रा० साधना वेदांती उपस्थित रही।

सभी अतिथिगण का स्वागत तिलक व पुष्प गुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत दीप प्रज्वलन तथा सरस्वती वंदना से किया गया। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष महोदय द्वारा उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 के मुख्य बिन्दुओं यथा- 100 वर्ग मीटर आवासीय निर्माण हेतु एवं 30 वर्ग मीटर व्यावसायिक निर्माण हेतु 01 रु० की टोकन धनराशि जमा कर पंजीकरण कराना, सम्बंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु समय-सीमा निर्धारित, ग्राउंड कवरेज प्रतिबंधों की समाप्ति, एफ.ए.आर. में वृद्धि, होटल, चिकित्सा सुविधा, पेइंग गेस्ट/होम स्टे हेतु NOC की आवश्यकता नही है, औद्योगिक इकाइयों के मानकों में छूट,जोनिंग रेगुलेशन्स को सरल बनाया गया से अवगत कराया गया। तत्पश्चात नगर नियोजक प्रभात कुमार द्वारा उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 के बारीकियों पर विस्तार से चर्चा किया गया। इसी के साथ उपस्थित अतिथिगण द्वारा कार्यक्रम की सराहना करते हुए अपने-अपने विचार रखे गए तथा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार/विधायक वाराणसी उत्तरी) रविन्द्र जायसवाल द्वारा सुझाव दिया गया कि उ०प्र० विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 का व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु नगर अंतर्गत तकनिकी शिक्षा (B.Tech, B.Arch एवं ITI Civil) प्राप्त युवा की सहभागिता प्राप्त करते हुए जागरूकता अभियान/कार्यशाला का आयोजन किया जाये, जिससे उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। कार्यक्रम के अंत में उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित अतिथिगण को पारंपरिक शाल एवं पौध भेंट स्वरुप दिया गया तथा सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम का समापन किया गया।